तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2019	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स अनुपस्थित। बहस एकपक्षीय सुनी गई। अभिलेख का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जैर अपील नामान्तरकरण पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 06.01.1983 को अपास्त कराने का निवेदन किया। जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैर अपील नामान्तरकरण ऐमदा पुत्र दूलाजी के फौत होने पर भरा गया। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को मृतक ऐमदा के पुत्र नैनु की एकमात्र पुत्री होना बताते हुए हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत अपना नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने का अनुतोष चाहा है। चूंकि रेस्पोडेन्ट बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहे है, तथा अपीलाण्ट द्वारा जो कथन एवं मृतक ऐमदा का जो सजरा खानदान जाहिर किया है वह अखण्डित है जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण मात्र मंगला के नाम दायर किया है, जबकि ऐमदा क दो पुत्र मंगला व नैनु होना जाहिर किया है तथा नैनु की पुत्री ने स्वयं को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ऐमदा की खातेदारी भूमि में अपने हक हकुक के निर्धारण का अनुतोष है। ऐमदा की मृत्यु होने पर सम्बधित पटवारी हल्का ने बिना जांच किये बिना कोई साक्ष्य लिये उक्त भूमि का म्युटेशन नम्बर 363 मंगला के नाम भरा गया। इस प्रकार ऐमदा के समस्त विधिक वारिसान कि समुचित जांच नही की गयी। इस कारण अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम रावणिया, तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 363 पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 06. 01.1983 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार रायपुर को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे मृतक ऐमदा पुत्र दूलाजी के विधिक वारिसान की जांच कर पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे, बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार हो कर नम्बर से कम हो। अति. जिला कलक्टर, पाली अति० जिला कलक्टर, पाली	